स्पाइसेस बोर्ड / SPICES BOARD

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

Ministry of Commerce & Industry, Government of India

CERTIFICATE OF REGISTRATION AS EXPORTER OF SPICES

(**अनंतरणीय / Not transferable**)

प्रमाणपत्र सं. **/Certificate No :ML/REG/17536/2022**

1	पंजीकरण संख्या/Registration Number	17536
2	फर्म का नाम/ Name of the firm	NATURA VITALIS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3	आईईसी नंबर/ IEC Number	AAHCN4581H
4	फर्म की प्रकृति/ Nature of Concern	PVT. LTD. CO.
5	पंजीकृत कार्यालय पता/ Registered office address	583 PHASE-5,UDYOG VIHAR GURGAON,GURUGRAM,GURUGRAM,HARYANA-122001
6	निर्यातक श्रेणी/Exporter Category	MERCHANT
7	वैधता/Validity	से/From 24/01/2022 To 23/01/2025 तक
8	शाखा / इकाई / प्रभाग का पता (आईईसी के अनुसार)/Address of the Branch/Unit/Division (As per IEC)	लागू नहीं NA

एमएस। NATURA VITALIS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

को मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम, 1989 (आज तक यथासंशोधित) में विनिर्दिष्ट शर्तों और स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन भारत से मसालों के निर्यातक के रूप में व्यापार करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

यह प्रमाणपत्र, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (आज तक यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है।

M/s.NATURA VITALIS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is / are hereby authorised to do business as Exporter of Spices from India subject to the conditions specified in the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations, 1989 (as amended till date) and instructions issued by the Spices Board.

This certificate, issued as per the provisions of Spices Board Act, 1986 (as amended till date).

स्थान/ Place : NEW DELHI-(MKG)-RO

दिनांक/ Date : 24/01/2022

सिस्टम द्वारा तैयार प्रमाणपत्र

SYSTEM GENERATED CERTIFICATE

[टोकन संख्या/Token Number: 91257/2180/51397]

(यह कंप्यूटर द्वारा तैयार प्रमाणपत्र है। लिंक पर क्लिक करके इस दस्तावेज़ की प्रामाणिकता सत्यापित की जा सकती है)

(This is computer generated certificate. The authenticity of this document can be verified by clicking the link https://indianspices.org.in/CRES_new/e-r-o/exporters-registration/form/verify_certificate.php using the Registration Number and Token Number)

Amendment Details

स्पाइसेस बोर्ड / SPICES BOARD
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Commerce & Industry, Government of India

ML/REG/17536/2022 दिनांक 24/01/2022 के साथ शाखा सूची संलग्न

BRANCH LIST ANNEXED TO : ML/REG/17536/2022-DATED 24/01/2022

पंजीकरण संख्या / Registration Number :17536

फार्म का नाम / Name of the Firm :NATURA VITALIS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

-

स्पाइसेस बोर्ड
भारत

स्पाइसेस बोर्ड / SPICES BOARD
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Commerce & Industry, Government of India

विषय: मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सी आर ई एस) जारी करना / का नवीकरण बाबत

मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र केलिए आपके आवेदन का हवाला लें। यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा आपके नाम सं. एमएल/पंजी/17536/2022 वाला , मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरईएस) , मसाला बोर्ड (निर्यातकर्त्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) विनियम 1989 (आज तक यथासंशोधित) में विनिर्दिष्ट निबंधन व शर्तों तथा स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन जारी किया जाता है। पंजीकरण पूरा करने पर आवेदक द्वारा लॉग इन के प्रत्यायकों का प्रयोग करते हुए प्रमाणपत्र डाउन्लोड किया जा सकता है।

[1] सी आर ई एस प्रदान करने के निबंधनों व शर्तों के अनुसार, मसाला निर्यात, मसालों / मसाला उत्पादों के राज्य वार स्रोत संबंधी तिमाही विवरणी, निर्धारित प्रपत्र में निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, एन एच बाई-पास, पी बी नं. 2277 , पालारिवट्टम, कोच्ची - 682 025 [इ-मेइल : *tis.sb-ker@gov.in*] को प्रत्येक तिमाही के समापन के 15 दिनों के अंतर्गत, बिना चूक के भेज दी जानी चाहिए। तिमाही निर्यात विवरणी की प्रस्तुति केलिए प्रपत्र, बोर्ड की वेबसाइट *www.indianspices.com* > Marketing > Exporters > Export Returns में उपलब्ध है। निर्यात / आयात न होने के मामले में इस संबंध में एक **' शून्य '** रिपोर्ट, प्रत्येक तिमाही में बोर्ड को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

[2] बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली नमूनन व कंटेनर भराई प्रक्रिया के अनुसार , बोर्ड की वेबसाइट *www.indianspices.com* में "गुणवत्ता" के अंतर्गत "निर्यात केलिए अनिवार्य जांच" में दी गई अपेक्षाओं के अनुसार, आपके द्वारा निर्यात परेषणों का नमूनन और बोर्ड की प्रयोगशाला में उनकी जांच करवाना **अनिवार्य** है। निर्यातकों से अनुरोध है कि वे, अनिवार्य-जांच संबंधी सूची में अद्यतन सूचनाओं केलिए वेबसाइट देखें।

[3] भारत से यूरोपीय संघ को कैप्सिकम एनम (मिर्च व मिर्च उत्पाद) और जायफल के निर्यात के मामले में , स्पाइसेस बोर्ड से दी गई समाशोधित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के आधार पर स्पाइसेस बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

[4] परेषणों का नमूनन और भराई संबंधी सूचना सिर्फ ऑन-लाइन द्वारा स्वीकार्य होगी। लॉग-इन और पासवर्ड तथा नमूनन और भराई संबंधी अधिक जानकारी केलिए स्पाइसेस बोर्ड के निकटतम प्रादेशिक कार्यालय से संपर्क करें या पूछताछ "*sampling.sb-ker@gov.in*" में इ-मेइल करें।

[5] यह भी नोट किया जाए कि मसाला बोर्ड (निर्यातकर्त्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1989 के निबंधनों व शर्तों के अनुसार , सभी रजिस्ट्रीकृत निर्यातक , अगर वे ब्रैंड नामों के अंतर्गत उपभोक्ता-पैकों में निर्यात करना चाहते हैं तो , अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। निर्यातक, जिनके ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के साथ अपने ब्रैंड रजिस्ट्रीकृत है,वे आवेदन और मार्गदर्शन केलिए स्पाइसेस बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं।

[6] मसालों के रजिस्ट्रीकृत निर्यातक होने के नाते, आप निधि की उपलब्धता के अधीन , " निर्यात विकास व संवर्धन " योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विभिन्न घटकों केलिए वित्तीय सहायता पाने के पात्र हैं, जिनका विवरण बोर्ड की वेबसाइट www.indianspices.com>Marketing> Export Development and promotion में दिया गया है।

Sub: Issue/ Renewal of Certificate of Registration as Exporter of Spices [CRES]

This has reference to your application for Certficate of Registration as Exporter of Spices. This is to inform that, Certficate of Registration as Exporter of Spices [CRES] bearing No.ML/REG/17536/2022, dated 24/01/2022 issued in your favour subject to the terms and conditions specified in the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations, 1989 (as amended till date) and instructions issued by the Spices Board. Certificate can be downloaded by clicking the Regsitarion link by using your user id & password.

[1] In accordance with the terms and conditions of grant of CRES, the Quarterly Returns of Spices Export, state-wise origin of Spices/Spice products thereon should be submitted in prescribed format to the Director (Mktg), Spices Board, Sugandha Bhavan, N H By-Pass, Palarivattom P O, Kochi- 682 025 (E-mail: tis.sb-ker@gov.in) within 15 days on completion of each quarter. Format for the

submission of QER is available in our Website: www.indianspices.com> Marketing>Exporters> Return Submission. In case of no export/import, a ‘NIL’ report to that effect should be submitted in each quarter.

[2] As per the sampling and container stuffing procedure followed by the Board, it is mandatory on your part to get the export consignments sampled and tested at Board’s Laboratory as per the requirement given in “Mandatory Test for Export” under “Quality” in Board’s Website: www.indianspices.com. Exporters are requested to visit the website for latest updates in the list of manadtory tests.

[3] In case of export of Capsicum annum (Chillies and Chilly products) and Nutmeg from India to European Union, it is mandatory to obtain Health Certificate from Spices Board based on the cleared analytical report from the Spices Board.

[4] Intimation for sampling and stuffing of the consignments will be entertained through online only. For log in & password and for further details on sampling and stuffing, you may contact nearest Spices Board Regional Office or E-mail the query to ‘sampling.sb-ker@gov.in’

[5] It may also be noted that, as per the terms and conditions of (Registration of Exporters) Regulations, 1989 all the registered exporters may register their brand name, if they propose to export in consumer packs under brand names. Exporters having their brands registered with Trade Mark Registry may contact Spices Board for application and guidance.

[6] Being a registered exporter of Spices, you are entitled to avail scheme assistance for various components as specified under our Schemes “Export Development & Promotion” subject to availability of funds, the details of which are given in our website: www.indianspices.com >Marketing>Export Development and promotion

निदेशक(विपणन)/DIRECTOR (MKTG)